

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक / 108 / वि.स. / सम्मेलन / 2010

रायपुर, दिनांक 27.09.2010

वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

दिनांक 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2010 की अवधि में छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर में प्रस्तावित चतुर्थ इंडिया एवं एशिया रीजन राष्ट्रकुल संसदीय सम्मेलन के दौरान उपयोग हेतु किराया आधार पर लगभग 180 विभिन्न वाहनों की आवश्यकता है। प्रतिष्ठित ट्रेवल एजेंसी से सीलबंद निविदाएं दिनांक 05 अक्टूबर, 2010 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/पे ऑर्डर/एफ.डी.आर., सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदा की शर्तें एवं वाहनों के प्रकार, अनुमानित संख्या आदि के विस्तृत विवरण सम्मेलन शाखा, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, विधान नगर बलौदाबाजार रोड, रायपुर-492005 से कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हैं अथवा विधानसभा की वेब साईट www.chhattisgarhvidhansabha.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। खाली निविदा प्रपत्र रू. 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 04 अक्टूबर, 2010 को सायं 4.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा जमा कराते समय नगद जमा करना होगा। किसी भी निविदा को मान्य या अमान्य करने का संपूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा।

सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

वांछित वाहनों के विवरण

क्रं.	वाहनों के प्रकार	अनुमानित आवश्यकता
1	होंडा सिटी / कोरोला / इंडिगो-मांजा / ऑप्ट्रा स्कोडा / अल्टिस / फिएस्टा / इनोवा / सफारी / लीनिया / वेरना / लोगान या समकक्ष (जिसमें 105 वाहन लाल बत्ती युक्त एवं शेष 55 वाहन पीली बत्ती युक्त होंगे।)	160* (सायरन युक्त)
2	तवेरा / विस्टा / स्कार्पियो / जायलो / सुमो ग्रेण्ड विंगर	05
3	इंडिका	15
4	लकजरी ए.सी. मिनी डीलक्स कोच लकजरी एसी बड़ी कोच (32 सीटर) (पोस्ट कान्फ्रेंस टूर / स्पाउस टूर हेतु)	05 05

नोट : (वाहनों की संख्या परिवर्तनशील है)

निविदा की शर्तें

- 1 मुहरबंद निविदाओं के साथ सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सभा के पक्ष में देय रू. 50,000/- (अक्षरी रूपये पचास हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर/एफ.डी.आर. प्रतिभूति/अमानत राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। जिस/जिन ट्रेवल एजेंसी/एजेंसियों का चयन होगा, उनकी अमानत राशि सम्मेलन समापन उपरांत एक माह के भीतर वापिस कर दिये जाएंगे, परंतु इस अमानत राशि पर सचिवालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 2 निविदाकार के लिये आवश्यक है कि कम से कम 50 वाहनों के लिये निविदा प्रस्तुत करें, इससे कम की संख्या के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 3 निविदाकार को प्रत्येक वाहन के लिए वाहन के अधिकृत विक्रेता का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जांच पड़ताल की गई है और वाहन प्रतिदिन न्यूनतम 150 कि.मी. चलने के लिए उपयुक्त है।
- 4 उन वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनका रजिस्ट्रेशन जनवरी, 2009 के पश्चात का है। द्वितीय प्राथमिकता में जनवरी, 2009 के पूर्व किंतु जनवरी 2008 के पूर्व के नहीं, वाहनों पर विचार किया जावेगा।
- 5 चयनित निविदाकार को 15 अक्टूबर, 2010 तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर की सूची तथा किस वाहन को कौन सा वाहन चालक चलाएगा, उनके नामों की सूची, उनके ड्रायविंग लाइसेंस की फोटोकापी उनके मोबाइल नंबर की सूची आदि संलग्न करना होगा।
- 6 दरें पेट्रोल, डीजल, विभिन्न स्थानों पर पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स में होने वाले व्यय सहित देनी होगी।

- 7 ऐसे निविदाकार जिन्होंने पूर्व में समान प्रकृति का कार्य अर्थात् किसी राज्य/केंद्र शासन के कार्यालयों को एक बार में न्यूनतम 50 लकजरी संवर्ग के वाहन उपलब्ध कराने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो के द्वारा कार्य आदेश एवं तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 8 चयनित निविदाकार को प्रदाय आदेश में उल्लेखित वाहनों की संख्या के मान से प्रत्येक वाहन हेतु रूपये 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र)की दर से आकलित कुल राशि की बैंक गारंटी दिनांक 10 अक्टूबर 2010 तक देनी होगी।
- 9 यदि चयनित निविदाकार उसके द्वारा प्रस्तावित वाहन अपेक्षित संख्या में देने में असमर्थ रहता है तो अमानत राशि राजसात कर ली जाएगी तथा बैंक गारंटी से भी समानुपातिक राशि की कटौती की जाएगी।
- 10 निविदाकार को अपनी निविदा में स्पष्ट रूप से वाहन के प्रकार के साथ फ्यूल सहित प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक की समयावधि के लिए लागू दरें और प्रतिदिन कम से कम 80 कि.मी. रनिंग के आधार पर दरें देनी होंगी। इससे अतिरिक्त समय के लिए प्रति घंटा और अतिरिक्त रनिंग की स्थिति में प्रति किलोमीटर के दरों का उल्लेख पृथक से करना आवश्यक होगा।
- 11 चयनित निविदाकार को विधानसभा द्वारा किसी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 12 वाहन उपयोग कर्ता द्वारा वाहन का ए.सी. चालू नहीं होने, वाहन में अचानक तकनीकी खराबी आ जाने के कारण रूक जाने जैसी शिकायत प्राप्त होने पर उस खराब वाहन के बदले में तत्काल दूसरा वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- 13 सम्मेलन अवधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे के पूर्व उस तिथि से पूर्व दिवस के उपयोग संबंधी उपयोगकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित

निर्धारित लॉग कार्ड की एक प्रति विधानसभा सचिवालय के प्राधिकृत अधिकारी को संबंधित वाहन चालक के द्वारा अपने हस्ताक्षर कर देनी होगी।

- 14 विधानसभा सचिवालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिदिन की वास्तविक रनिंग एवं वाहन के उपयोग किए गए समय की वास्तविक गणना के आधार पर ही सम्मेलन समापन के उपरांत भुगतान किया जाएगा जो चयनित निविदाकार के लिए मान्य एवं बंधनकारी होगा।
- 15 सम्मेलन प्रारंभ हो जाने के पश्चात और यह पुष्टि हो जाने पर कि वाहनों की वास्तविक आवश्यकता में कमी संभावित है तदाशय की सूचना चयनित निविदाकार को विधानसभा सचिवालय द्वारा यथा समय दे दी जायेगी। ऐसी सूचना देकर सचिवालय द्वारा विमुक्त कर दिये गये वाहनों का भुगतान उनके वास्तविक उपयोग अवधि के अनुसार ही किया जावेगा। और ऐसी स्थिति में ऐसे विमुक्त किये जा चुके वाहन निविदाकार अन्यत्र उपयोग हेतु स्वतंत्र होंगे।

उपयुक्त अंकित शर्तें मान्य होने के प्रमाण स्वरूप इस पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर स्पष्ट हस्ताक्षर कर एवं फर्म की सील लगाकर संलग्न करना आवश्यक है।

हस्ताक्षर

(निविदा कर्ता)
एवं
(फर्म की सील)

स्थान –

दिनांक–